3. मार्च–पास करेंगे और सलामी देंगे।
5. फिर सभी संयुक्त रूप से अम्बेडकर प्रेरणा दल का गीत गायेंगे।
6. अम्बेडकर प्रेरणा दल के छः संकल्पों को दोहरायेंगे।
7. अम्बेडकर प्रेरणा दल का नारा दुहरायेंगे।

अम्बेडकर प्रेरणा दल का छः संकल्प :

1. नियमित विद्यालय जाना।
2. स्व–अध्ययन करना।
3. एक महीना में 15 सामान्य ज्ञान (जी.के.) याद करना।
4. महीना में एक कविता या एक कहानी लिखना।
5. महीना में दो बार बैठक में भाग लेना।
6. अपने और आस–पास को साफ रखना

अम्बेडकर प्रेरणा दल का नारा :

1 बाबा अम्बेडकर	अमर रहें
2. गुणवत शिक्षा अभियान	जिन्दाबाद...जिन्दाबाद
3. शिक्षित बनो	गुणवत शिक्षा अभियान जिन्दाबाद
4. संगठित हो	गुणवत शिक्षा अभियान जिन्दाबाद
5. संघर्ष करो	गुणवत शिक्षा अभियान जिन्दाबाद

जिला	इकाई	गाँव	कुल	कुल बच्चों की संख्या	
				लड़का	लड़की
खगड़िया	2	17	404	171	233
समस्तीपुर	2	24	424	226	198
मुजफ्फरपुर	1	10	170	89	81
मधेपुरा	2	13	507	242	265
नवादा	2	18	497	229	268
पटना	5	60	939	437	502
दरभंगा	2	19	389	209	180
शेखपुरा	1	28	527	231	296
जमुई	1	8	162	75	87
मुंगेर	1	14	256	140	116
कुल	**19**	**211**	**4275**	**2049**	**2226**

बाल अधिकार मंच

बाल अधिकार मंच दलित, आदिवासी बच्चों का एक संगठन है। जिसके सदस्य अम्बेडकर प्रेरणा दल के चुने हुए प्रतिनिधि होते है जो बाल अधिकार और बाल संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। ये अपनी बातों को ग्राम स्तर के अपने अभिभावक, पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर सरकारी पदाधिकारियों तक रखते हैं ताकि विद्यालय, समाज और परिवारों में उनके अधिकारों की रक्षा हो सके।

अम्बेडकर प्रेरणा दल

बाल अधिकार मंच

(बच्चों का सशक्त संगठन)

(2022 - 2024)

बिहार दलित विकास समिति
रूकनपुरा, बेली रोड, पटना–14

प्रस्तावना :–

बिहार में बच्चों की संख्या लगभग 4.6 करोड़ जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। पूरे भारत को देखें तो यह संख्या सबसे ज्यादा है। हालांकि बिहार शिक्षा की दृष्टिकोण से सबसे निचले पायदान पर है, जिसका प्रमुख कारण गरीबी, पलायन और कुपोषण है। यहाँ के बच्चों का पलायन 8 वर्ष में ही होने लगता है, कभी दोस्तों के साथ तो कभी परिवार के साथ। शिक्षा और जागरूकता के अभाव में बच्चे पीढ़ी–दर–पीढ़ी गुलामी और गरीबी से जूझते रहते हैं। जागरूकता का अभाव और भेदभाव के कारण हमेशा अवसाद के शिकार होते रहते है।

बच्चे ही एक ऐसे कड़ी है जिसे हम प्रेरित और शिक्षा के प्रति जागरूक कर उनके जीवन में अमूल–चूल परिवर्तन ला सकते हैं। बिहार दलित विकास समिति महादलित, दलित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बच्चा, युवा और महिलाओं बीच शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु विगत 40 वर्षों से कार्य करते आ रही है। इन कार्यों को बल प्रदान करने की दिशा में बिहार के विभिन्न जिलों में बच्चों का संगठन बनाया गया है जिसे **अम्बेडकर प्रेरणा दल** कहते हैं। इस संगठन के द्वारा बच्चों में नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व विकास, बाल अधिकारों की समझ, साफ–सफाई, नैतिक मूल्यों के साथ–साथ गुणवत शिक्षा के प्रति जागरूक कर सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है।

अम्बेडकर प्रेरणा दल : परिचय

अम्बेडकर प्रेरणा दल दलित, महादलित, अनुसूचित जनजाति के बच्चों का एक संगठन है जो मूल रूप से डा. भीमराव अम्बेडकर

की विचारधारा पर आधारित है। इस संगठन में कक्षा 4 से कक्षा 7 तक के वैसे बच्चों को शामिल किया जाता है जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं।

लक्ष्य :

डा. भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणाश्रोत बच्चों में शैक्षणिक गुणवता, नैतिक मूल्य, बाल अधिकार, संगठनात्मक सोच नेतृत्वक्षमता विकसित कर सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना।

उद्देश्य :

बच्चों में शैक्षणिक विकास, नेतृत्वक्षमतावर्द्धन, नैतिक मूल्य, बाल अधिकार, अनुशासन, साफ–सफाई, संगठनात्मक एवं सामाजिक सोच के प्रति जागरूक कर उन्हें सामाजिक पूँजी के रूप में विकसित करना है ताकि वे गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।

मिशन :–

जीवन कौशल सिखाते हुए बच्चों को अपने कार्यों के प्रति जिम्मेवार बनाना

–शिक्षा एवं ज्ञान के प्रति रूची पैदा करते हुए जिम्मेवार नागरीक बनने की दिशा में प्रेरित करना।

–डा. भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा और मूल्यों को आत्मसात करते हुए जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना।

–उन्हें संगठनात्मक कैडर के रूप में तैयार करना

सदस्यता :

1. वैसे बच्चे सदस्य होंगे जो दलित, अनुसूचित जनजाति के श्रेणी से आते हों।
2. जो उस गाँव या टोला में रहते हों।
3. जो सरकारी विद्यालयों कक्षा 4 से कक्षा 7 में पढ़ते हों।

अम्बेडकर प्रेरणा दल नियमावली :

1. महीने में दो बार बैठक में भाग लेना।
2. सभी बैठकों की अगुवाई नेता के द्वारा होना।
3. असेम्बली लगाना और जगह को साफ–सुथरा रखना।

4. प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क अदा करना।
5. अम्बेडकर प्रेरणा दल के नियम का पालन करना।
6. संकल्पों को अपने नियमित दिनचर्या में शामिल करना।
7. डा. भीमराव अम्बेडकर के मूल्यों पर चलना और उनका अनुसरण करना।
8. बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में लिखना।
9. निर्णयों को सभी को सुनाना और निष्पादन हेतु योजना बनाना।
10. निर्णयों को बाल अधिकार मंच पर साझा करना।

सदस्यता की समाप्ति :

दो बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर।

सदस्यता शुल्क प्रति वर्ष दस रूपया नहीं जमा करने पर।

दल के नियमों का पालन नहीं करने पर।

असेम्बली प्रक्रिया :

1. सभी बच्चे क्रमबद्ध रूप से नेता की अगुवाई में सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे।
2. एक मिनट का मौन रखकर बाबा साहब के मूल्यों को याद करेंगे।